

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)
पीठासीन अधिकारी- श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
18/अपील/2019	29.01.2019	24.07.2019

गोपाल आ. गजानन्द जाति मीणा, निवासी भीमगंज तहसील हिण्डोली
जिला बून्दी (राजस्थान)

- अपीलांट

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

- रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 25.09.2017
तहसीलदार, हिण्डोली
अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से - श्री शम्भू दयाल शर्मा, अभिभाषक।
रेस्पोजेन्ट की ओर से - परोकार सरकार

-: निर्णय :-

यह अपील तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2017 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 590 रकबा 05 बीघा किस्म सिंवायचक वाके ग्राम भीमगंज तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, पैनाल्टी 500/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट एक गरीब कृषक है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है इसक बावजूद भी अपीलान्ट को द्वितीय अतिचारी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो गलत है। अपीलान्ट के

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

विरुद्ध पटवारी द्वारा मिथ्या रिपोर्ट पेश की गई है। जो निरस्तनीय है। अपीलान्त के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन किया था कि अपीलान्त का कोई अतिक्रमण नहीं है यदि अतिक्रमण है तो बताया जावे। गांव के कुछ समाज कंटको द्वारा व्यक्तिगत रंजिश का बदला लेने की नियत से पटवारी से मिलकर अपीलान्त के विरुद्ध अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट पेश करवाई है। अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी को आश्वासन दिया था कि मैं स्वयं मौके पर आकर जाँच करूंगी और आपको भी मौके पर बुलवाऊंगी। उसके उपरान्त ही कार्यवाही की जावेगी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय का अधिकारी, तहसीलदार मौके पर नहीं आया, अपीलान्त इन्तजार करता रहा और अपीलान्त के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर सिविल सजा के कारावास एवं बेदखली का आदेश पारित करते हुये गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.09.2017 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्त को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्त को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्त ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी रिपोर्ट, अतिक्रमण बाबत मय आईएलआर जाँच के एवं पटवारी बयान संलग्न है। जिससे अपीलान्त का विवादित भूमि पर सम्वत् 2074 फसल खरीफ में तिल व उडद की फसल बोई गई है। जिससे अपीलान्त का विवादित भूमि पर कब्जा साबित होता है। अपीलान्त ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्त को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने की रिपोर्ट संलग्न नहीं है, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्त को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्त को बिना पश्चातवर्ती साबित

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट के इस कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन व गत वर्ष मौके पर बेदखल किये गये फर्द की प्रति व निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा तथा तहसीलदार उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावे। यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बूंदी (खज0)